न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

जगदीश बनाम मदनलाल आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 84 / 2013 (2013 / 00129)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
9.06.2022	पत्रावली पेश हुई, अपीलांट जगदीश के वारिसान प्रार्थीगण श्योनन्दराम आदि का वकालतनामा श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता ने पेश किया साथ ही प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि अपीलाण्ट जगदीश की मृत्यु दिनांक 08.04.2020 को हो चुकी है जिसके जायज वारिसान प्रार्थना–पत्र में वर्णित कुल कुल 16 वारिस हैं। प्रार्थीगण ग्रामीण लोग हैं तथा अनपढ व्यक्ति हैं जगदीश की मृत्यु के बाद काफी दिनों तक वकील साहब से सम्पर्क नहीं हुआ दिनांक 04.05.2022 को नोहर तारीख का पता करके आये तब वारिसान को पक्षकार बनाने बाबत पता चला इसलिए न्यायहित में हुई देरी को माफ किया जावे इनकी जगह अपीलाण्ट जगदीश के वारिसान को फरीक बनाने जावे। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट की तलबी अभी हुई नहीं है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रकरण वर्ष 2013 से विचाराधीन है। प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश चल रहा है। 9 वर्ष की अवधि में रेस्पोडेण्ट की तलबी नहीं करवाई गई है। अपीलाण्ट जगदीश की मृत्यु दिनांक 08.04.2020 को हो चुकी है। प्रार्थीगण ने अपीलाण्ट जगदीश को वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु दिनांक 25.05.2022 को लगभग 2 वर्ष की अवधि के विलम्ब से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण कथित किया है युक्तियुक्त नहीं है। अतः अपीलाण्ट के फौत होने के कारण अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है। अपील अबेट होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 9/6/22	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:07 IST
Reason: SelfAttested